न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 120/2021
आरसीएमएस नं0 2021/00120
अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट 1955

बोहड़ सिंह पुत्र अजायबसिंह जाति जटसिख निवासी डबली कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. सरजीत सिंह पुत्र बोहड़ सिह जाति जटसिख निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. जगतार सिह पुत्र बोहड़ सिह जाति जटसिख निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी जिला हनुमागनढ।

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 13.09.2010
द्वारा सहायक कलक्टर टिब्बी
प्रकरण संख्या 270/201 बअनवानी सरजीत सिंह बनाम बोहड़ सिंह

श्री देवदत्त भिड़ासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री राजीव कुलश्रेष्ठ अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1
श्री रवि कुमार गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 2
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 3

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांकः- 19.07.2022

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 आरटीएक्ट में एक वाद पेश किया। वाद पत्र में चक 2 आरपी की कुल 7.337 है0 भूमि को प्रतिवादी सं0 2 के नाम होने एवं भूमि पैतृक होने एवं भूमि पैतृक होने के कारण इसमें अपना हक हिस्सा होने का कथन किया। विचारण न्यायालय में राजीनामा पेश किया गया कि वादीगण ने आपसी राजीनामा से अपने हक व हिस्से की भूमि का विभाजन कर लिया है एवं उसी के अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाकर उक्त भमि को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने राजीनामा के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की अपील सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि रेस्पोडेण्ट ने विचारण में चक 2 आर पी (सीएडी रहित) की 7.337 है0 भूमि को पैतृक सम्पति होना बताते हुए घोषणा का वाद पेश किया था वादग्रस्त भूमि के पैतृक होने के संबंध में कोई दस्तावेज या मोखिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने वाद मुताबिक राजीनामा अपीलाधीन निणय एवं डिक्री पारित की है परन्तु राजनामा तस्दीक नहीं किया न ही राजीनामा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत कियागयाहै। अपीलाण्ट कभी भी विचारण न्यायालय में उपस्थित नही हुआ रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 ने धोखा से खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर विचारण न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत कर दिया। अपीलाण्ट के धारण में अन्य भूमि होना बताया परन्तु इस सम्बन्ध मं कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गयाहै। प्रश्गनत भूमि अपीलाण्ट की स्वअर्जित सम्पति है इसलिए अपीलाण्ट के जीवनकाल में रेस्पोडेण्ट का कोई हक व हिस्सा नहीं है। विचारण न्यायालय इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया है इसलिए अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।
4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री मुताबिक राजीनामा पारित की गई थी। निर्णय के उपरान्त यह कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज होकर उसके कब्जा काश्त में चली आर

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

ही है। इसके सम्बन्ध में अपीलाण्ट ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के सापथ गिरदावरी प्रस्तुत की है, जो स्वीकार की जावे। अपीलाधीन निर्णय राजीनामा के आधार पर दिनांक 13.09.2010 को पारित किया गया था, जिसकी अपीलाण्ट को भलीभांति जानकारी रही है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर लगभग 10 वर्ष बाद अपील पेश की है। अपील इतने वर्ष बाद प्रस्तुत करने का कोई उचित कारण नहीं बताया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2019 (3) सीडीआर पेज 159 10.07.2015, व सीडीआर 2013 (1) पेज 147 दिनांक 10.02.2013 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने अपील अपीलाण्ट खारिज करने का कथन किया।
6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
8. अपीलाण्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट्स ने प्रश्नगत भूमि को पैतृक भूमि होने का कथन करते हुए अधिकारों की घोषणा चाही थी। अपीलाण्ट कभी भी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं आया कभी वाद में राजीनामा पेश नहीं किया है। रेस्पोडेण्ट ने धोखे उसके हस्ताक्षर करवाये है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं आया इस तथ्य की पुष्टि प्रस्तुत राजीनामा से होती इस राजीनामा को विचारण न्यायलाय द्वारा तस्दीक नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने राजीनामा के आधार पर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है ऐसे में अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं होना स्वाभाविक है तथा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनिमय का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।
9. रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है लिहाजा अपीलाण्ट का आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।
10. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय द्वारा राजीनामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में राजीनामा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

दिनांक 09.09.2010 संलग्न है। इस राजीनामा का विचारण न्यायालय द्वारा तस्दीक नहीं किया गया है। रेस्पोडेण्ट ने प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि होना बताते हुए वाद पेश किया था किन्तु प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है एवं अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि अपीलाण्ट को सुने बिना उसके पुत्रों रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 को दे दी गई है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.09.2010 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे।। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

19/7/22

(करतार सिंह पूनियाआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़